



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक— १४३ / 241 / NULM / तीन / 2015(SM&ID-RO-EMP)

दिनांक— २५-२-१६

## कार्यालय

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप सं०-एफ-एन-के-१४०११/७/२०१३-यूपीए/एफटीएस-९७८९ दिनांक ०३.०८.२०१५ के अनुक्रम में नाबार्ड एवं उ०प्र० भूमि सुधार निगम में कार्यरत संस्थाओं से एस०यू०एल०एम०, सूडा उ०प्र० के पत्रांक—०४३/२४१/एनयूएलएम/तीन/२०१५(SM&ID-RO-EMP) दिनांक २२.१२.२०१५ के माध्यम से मांगे गये प्रस्ताव के सापेक्ष अहं पायी गयीं संस्थाओं को कार्यालय ज्ञाप सं०-०९४/२४१/एनयूएलएम/तीन/२०१५(SM&ID-RO-EMP) दिनांक २२.०१.२०१६ के माध्यम से संदर्भ संस्था के रूप में इम्पैनल्ड संस्थाओं को उनके द्वारा आवेदित शहरों में से निम्नानुसार स्वयं सहायता समूह एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्यों हेतु निम्नानुसार लक्ष्य आवंटित किया जाता है :—

क्र. सं.	संस्था का नाम	शहर जहां इम्पैनल्ड संस्था को कार्य आवंटित किया जाता है	शहरों को आवंटित लक्ष्य					वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन
			स्वयं सहायता समूहों का गठन	प्रस्तावित ए.एल.एफ. का गठन	ए.एल.एफ. गठन का लक्ष्य १५-१६	सी.एल.एफ. का गठन	व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाना	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	कुंवर राम बक्श सिंह एजूकेशन सोसाईटी सी-११ए, विज्ञानपुरी, महानगर, लखनऊ	भदोही	२५	१	१	१	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	२४ १
२	पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान बी-१/१९, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-२२६०१०	गाजीपुर	३९	२	१	१	२०४ २	
		बलिया	५०	२	१	१	३९२ ३	
		गोण्डा	२५	२	१	१	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा १३० २	
३	चेतना सेवा संस्थान ग्राम—कमौरा, पो-धमौरा, थाना—मिलक, रामपुर	शिकोहाबाद	७९	२	१	१	४०३ ३	
४	प्रेम हेल्प एण्ड डेवलपमेन्ट सोसाईटी, निलोई, जसवंतनगर, इटावा यू.पी.	फिरोजाबाद	१००	१०	२	२	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा ५२१ ५	

क्र. सं.	संस्था का नाम	शहर जहां इम्पैनल्ड संस्था को कार्य आवंटित किया जाता है	शहरों को आवंटित लक्ष्य					
			स्वयं सहायता समूहों का गठन	प्रस्तावित ए.एल.एफ. का गठन	ए.एल.एफ. गठन का लक्ष्य 15-16	सी.एल.एफ. का गठन	व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाना	वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन
5	भारतीय डेवलपमेन्ट ट्रस्ट नैशनल कॉन्वेन्ट स्कूल, सिविल लाइन रोड, मिर्जापुर 645ए/057, पी-15, जानकीविहार, सेक्टर-आई, जानकीपुरम, लखनऊ-226021	भदोही	25	1	1	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	24	1
6	संवेदना वास्पुर, कोहण्डौर, प्रतापगढ़	इलाहाबाद	100	19	2	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	526	5
7	परम लाल सेवा समिति नियर यमुना ब्रिज भिलावा, हमीरपुर	बांदा	118	3	1	1	602	5
		बलरामपुर	61	1	1	1	309	3
		कानपुर देहात	25	1	1 (शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा)	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	40	1
8	उज्जवल सेवा संस्थान, जी-1 एक्ता नगर बिहाइन्ड क्वारसी फार्म अलीगढ़	अलीगढ़	50	15	1	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	262	3
9	सर्वोदय आश्रम, सिकन्दरपुर तडियावा हरदोई	हरदोई	100	3	1	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	510	3
		शाहजहांपुर	100	5	2	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	510	3
10	जन कल्याण संस्थान, 65 बी, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स पंचशील कालोनी, अपोजिट रामपुरा गैस एजेन्सी गढ़ रोड मेरठ	मेरठ	100	22	2	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	538	5
		मोदीनगर	50	2	1	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	244	2

- उल्लिखित संस्थाओं को कार्य आवंटन इस आशय से किया जा रहा है कि सन्दर्भ संस्थाएं तीव्र गति से कार्यवाही आरम्भ करें तथा तत्काल क्षेत्र में सम्बन्धित शहरों के सी0एम0एम0य०, डूड़ा से समन्वयन कर कार्य आरम्भ कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- शहर विशेष हेतु इम्पैनल्ड संस्थाओं को स्वयं सहायता समूहों के गठन का उल्लिखित कार्य आवंटन शहरों में एस0एच0जी0 गठन हेतु उपलब्ध लक्ष्यों/राज्य स्तर पर उपलब्ध लक्ष्यों के सापेक्ष किया जा रहा है।
- उल्लिखित संस्थाओं में से क्रम संख्या-07, 08, 09 एवं 10 पर उल्लिखित संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि तत्काल प्राविधानों के अनुसार रु0 1.00 लाख की बैंक गारन्टी जमा करते हुए अनुबन्ध करना सुनिश्चित कराते हुए कार्य आरम्भ करें।

N

4

5. गाइड लाइन में प्रदत्त प्राविधान के अनुरूप निर्गत प्रस्ताव आमंत्रण हेतु सूडा के प्रतांक-043/241/एनयूएलएम/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.12.2015 में उल्लिखित एस0एच0जी0 के गठन एवं दो वर्षों तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु संदर्भ संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह हेतु ₹ 10,000/- का भुगतान दो वर्षों में 4 किश्तों में किया जाना प्राविधानित है। संदर्भ संस्थाओं को उक्त धनराशि एस0एच0जी0 व फेडरेशन्स का गठन, 2 वर्षों तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट, सामुदायिक गतिशीलता, क्षमता संवर्धन आदि कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जाना है। जो स्वयं सहायता समूहों के बैंक में खाता खोलने की तिथि से दो वर्षों हेतु अनुमत्य होगा, जिसके संबंध में एम0ओ0ए0 के अनुसार समस्त कार्यवाही संबंधित शहरों की शहर प्रबन्धन इकाई(सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) द्वारा की जायेगी।
6. सभी संस्थाओं द्वारा संदर्भ संस्था के रूप में सभी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा जारी "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के निर्देशों, पूर्व में जारी प्रावधानों एवं समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं मिशन निदेशक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
7. सन्दर्भ संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यादेश एवं अनुबन्ध के उपरान्त अनुबन्ध की प्रति संबंधित शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को उपलब्ध कराते हुए शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) से इस लक्ष्य आवंटन के सापेक्ष विस्तृत कार्यादेश (क्षेत्रवार एस0एच0जी0 गठन, ए0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 गठन) प्राप्त कर उनके निर्देशन में तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा अपने कार्यों की दैनिक रिपोर्ट संबंधित शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को करना सुनिश्चित करें।
8. सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन के गठन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 के पत्रांक-705/241/एनयूएलएम/ तीन/2001(SM&ID) दिनांक दिनांक 25.05.2015 एवं एस0एच0जी0 के सभी सदस्यों को दिये जाने वाले समूह के बैंकों में खाता खुलवाने के उपरान्त दिये जाने वाले प्रशिक्षण का माडल रूपरेखा सूडा एस0यू0एल0एम के पत्र सं0-3281/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(SM&ID) दिनांक 24.11.2015 के द्वारा निर्गत किया गया है तथा दोनों पत्र सूडा की वेबसाइट पर अपलोड है जिसको डाउनलोड कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

दिनांक एवं पत्रांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झूड़ा उ0प्र0।
5. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना झूड़ा, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित संस्थाओं को तत्काल कार्य प्रारम्भ करने/अनुबन्ध करते हुए कार्य आरम्भ हेतु।
7. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक